

छत्तीसगढ़ में आदवासी युवाओं हेतु शिक्षा कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

भारत के सबसे बड़े लौह [अयस्क उत्पादक NMDC लिमिटेड](#) ने दो महत्वपूर्ण [कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व \(CSR\)](#) पहलों की घोषणा की है, जिनका उद्देश्य पूर्णतः प्रायोजित शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में आदवासी युवाओं को सशक्त बनाना है

- ये कार्यक्रम 'बालिका शिक्षा योजना' तथा 'चकित्सा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम' क्षेत्र के आदवासी युवाओं और वंचित छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने पर केंद्रित हैं।

मुख्य बिंदु

- **बालिका शिक्षा योजना के बारे में:**
 - NMDC बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागाँव, बीजापुर तथा नारायणपुर जिलों की आदवासी लड़कियों को पूर्णतः वित्तपोषित नर्सिंग शिक्षा प्रदान कर रहा है।
 - इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित संस्थानों में नर्सिंग शिक्षा को पूर्णतः प्रायोजित करना है तथा प्रति छात्रा लगभग **12-15 लाख रुपए** का नवनिर्माण किया जाएगा।
 - आवेदिका का संबंध [अनुसूचित जनजाति \(ST\)](#) समुदाय से होना अनिवार्य है।
- **चकित्सा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के बारे में:**
 - अपोलो विश्वविद्यालय, चित्तूर के साथ साझेदारी में, NMDC दंतेवाड़ा और बस्तर के अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये **संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान** में पूर्णतः प्रायोजित बी.एससी. कार्यक्रम की पेशकश कर रहा है।
 - इस कार्यक्रम में वशिष्ठीकृत पाठ्यक्रमों में **90 सीटें** शामिल हैं, जिनमें **60% सीटें लड़कियों** तथा **40% लड़कों** के लिये आरक्षित हैं।
 - प्रत्येक चयनित छात्र को **12-15 लाख रुपए** की प्रायोजन राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें **समस्त शैक्षणिक शुल्क** तथा **आवासीय व्यय** सम्मिलित होंगे।
- **आदवासियों के लिये शैक्षणिक योजनाएँ**
 - **आश्रम विद्यालयों की स्थापना हेतु योजना:** यह [केंद्र प्रायोजित योजना](#), विशेष रूप से उग्रवाद-प्रभावित जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में, आदवासी लड़के-लड़कियों के लिये आश्रम विद्यालयों के निर्माण को समर्थन प्रदान करती है।
 - **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS):** दूरदराज के क्षेत्रों में आदवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु अब तक 740 स्कूलों को स्वीकृति दी जा चुकी है।
 - **प्रधानमंत्री जनजाति आदवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN):** यह अभियान [विशेष रूप से वंशिक रूप से कमजोर जनजातीय समूहों \(PVTG\)](#) के लिये स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आजीविका पर केंद्रित है।

छत्तीसगढ़ में जनजातियाँ

- छत्तीसगढ़ में कुल **42 जनजातियाँ** पाई जाती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख **गोंड** जनजाति है।
- इसके अतिरिक्त राज्य में कंवर, ब्रजवार, भैना, भतरा, **उराँव**, मुंडा, कमार, हल्बा, बैगा, संवरा, कोरवा, भारिया, नागेशिया, मंगवार, खरिया तथा धनवार जनजातों की भी महत्वपूर्ण आबादी निवास करती है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)

- **परिचय:**
 - CSR का तात्पर्य समाज और पर्यावरण के प्रति कंपनी की ज़िम्मेदारी से है। यह एक **स्व-वर्णित मॉडल** है, जो यह सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय **आर्थिक, सामाजिक** तथा **पर्यावरणीय कल्याण** पर अपने प्रभावों के लिये **जवाबदेह** बने रहें।
 - CSR को अपनाने से कंपनियाँ [सतत विकास](#) में अपनी व्यापक भूमिका के प्रति अधिक जागरूक हो जाती हैं।
- **कानूनी ढाँचा:**
 - भारत [कंपनी अधिनियम, 2013](#) की धारा 135 के तहत CSR व्यय को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश है, जो पात्र गतिविधियों के लिये एक संरचित ढाँचा प्रदान करता है।

■ प्रयोज्यता:

- CSR नियम उन कंपनियों पर लागू होते हैं जिनकी पछिले वित्तीय वर्ष में नविल संपत्ति 500 करोड़ रुपए से अधिक या कारोबार 1,000 करोड़ रुपए से अधिक या नविल लाभ 5 करोड़ रुपए से अधिक हो।
- ऐसी कंपनियों को अपने पछिले तीन वित्तीय वर्षों (या यदि हाल ही में स्थापति की गई हैं तो उपलब्ध वर्षों) के औसत नविल लाभ का कम से कम 2% कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधियों पर व्यय करना आवश्यक है।

